न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सूरजगढ जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:– अभिलाषा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 150/2017
जीसीएमएस नम्बर– 2017/00297

1. ताराचन्द आयु 75 साल पुत्र स्व0 खगाराम।
2. मोहर सिंह आयु 65 साल पुत्र स्व0 खगाराम।
3. औमप्रकाश आयु 70 साल पुत्र स्व0 सरदाराराम।
4. सहीराम आयु 57 साल पुत्र स्व0 सरदाराराम।
5. उमराव आयु 59 साल पुत्र स्व0 दोदराम।

समस्त जाति जाट निवासियान झाझड़ियों की ढाणी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं।

.... वादीगण

बनाम

1. रामस्वरूप आयु 75 साल पुत्र स्व0 मामचन्द।
2. जगदीश आयु 70 साल पुत्र स्व0 मामचन्द।
3. अमीलाल आयु 68 साल पुत्र स्व0 मामचन्द।
4. श्रीमती समन्दर देवी आयु 65 साल बेवा स्व0 विधाधर।
5. धीर सिंह आयु 40 साल पुत्र स्व0 विधाधर।
6. नरेश आयु 37 साल पुत्र स्व0 विधाधर।
7. मनीश आयु 35 साल पुत्र स्व0 विधाधर।
8. मु0 विनोद आयु 30 साल पुत्री स्व0 विधाधर।

समस्त जाति जाट निवासियान झाझड़ियों की ढाणी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं।

9. श्रीमती मिश्रो आयु 55 साल पुत्री स्व0 सुरजाराम स्त्री महेन्द्र।
10. श्रीमती संतोष आयु 45 साल पुत्री स्व0 सुरजाराम स्त्री दलीप ।

समस्त जाति जाट निवासियान नागलिया तहसील नारनोल जिला महेन्द्रगढ हरियाणा।

11. राम सिंह आयु 65 साल पुत्र स्व0 देवकरण।
12. सुरेन्द्र आयु 50 साल पुत्र स्व0 देवकरण ।

समस्त जाति जाट निवासियान झाझड़ियों की ढाणी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं।

13. श्रीमती संतरो आयु 55 साल पुत्री स्व0 देवकरण [illegible]
14. श्रीमती कणीया आयु 54 साल पुत्री स्व0 देवकरण स्त्री हर[illegible]।

समस्त जाति जाट निवासियान देलवास तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.06 16:32:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ

15. श्रीमती शान्ति आयु 51 साल पुत्री स्व0 देवकरण स्त्री मनफूल जाति जाट निवासी फरट तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं।
16. श्रीमती सुशीला आयु 55 साल बेवा स्व0 सुभाष पुत्र स्व0 रामेश्वर
17. विकाश आयु 35 साल पुत्र स्व0 सुभाष पुत्र स्व0 रामेश्वर
18. राकेश आयु 30 साल पुत्र स्व0 सुभाष पुत्र स्व0 रामेश्वर

समस्त जाति जाट निवासियान झाझड़ियों की ढाणी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं।

19. मु0 मन्जू आयु 38 साल पुत्री स्व0 सुभाष स्त्री मुकेश जाति जाट हाल निवासी देलवास तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं।
20. मु0 सन्जू आयु 34 साल पुत्री स्व0 सुभाष स्त्री अनिल जाति जाट हाल निवासी देलवास तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं।
21. मु0 बुल्ला आयु 28 साल पुत्री स्व0 सुभाष स्त्री भूपेश जाति जाट निवासी चिण्डालिया तहसील व जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा।
22. सुरेश आयु 52 साल पुत्र स्व0 रामेश्वर जाति जाट निवासी झाझड़ियों की ढाणी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं।
23. श्रीमती मधु आयु 50 साल पुत्री स्व0 रामेश्वर स्त्री तनवीर जाति जाट निवासी बाजला तहसील मलसीसर जिला झुंझुनूं।
24. श्रीमती शकुन्तला आयु 48 साल पुत्री स्व0 रामेश्वर स्त्री बलवान जाति जाट हाल निवासी जैतपुर तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं।
25. श्रीमती मुन्नी आयु 45 साल पुत्री स्व0 रामेश्वर स्त्री धर्मेन्द्र जाति जाट हाल निवासी जैतपुर तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं।
26. श्रीमती जैता आयु 77 साल पुत्री स्व0 खगाराम स्त्री बनवारीलाल जाति जाट निवासी हमीरवास तहसील राजगढ जिला चुरू।
27. श्रीमती सुमित्रा आयु 55 साल पुत्री स्व0 सरदारा राम स्त्री धर्मवीर
28. श्रीमती तुलसी आयु 53 साल पुत्री स्व0 सरदाराराम स्त्री महेन्द्र

जाति जाट निवासीयान ओजटू तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनूं।

29. श्रीमती सावित्री देवी आयु 61 साल पुत्री स्व0 दोदराम स्त्री काशीराम जाति जाट निवासी ढाढोत तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।
30. श्रीमती शारदा आयु 55 साल पुत्री स्व0 दोदराम स्त्री मनफूल जाति जाट निवासी नारनोद तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनूं।
31. श्रीमती रोशनी आयु 50 साल पुत्री स्व0 दोदराम स्त्री केशर जाति जाट निवासी नारनोद तहसील चिडावा जिला झुंझुनूं।
32. एस0बी0बी0जे0 बैंक शाखा सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं द्वारे शाखा प्रबन्धक।
33. राजस्थान सरकार भूमि अधिकारी जरिये तहसीलदार तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.06 16:32:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ

दावा–घोषणा, रिकार्ड दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा। – प्रतिवादीगण

–:निर्णय:–

दिनांक :– 22/6/21

1. वादीगण की ओर अधिवक्ता – श्री संदीप मान
2. प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3–एक पक्षीय कार्यवाही
3. प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 31 की ओर से अधिवक्ता– श्री अजय कुमार

(1). वादीगण का वादपत्र यह रहा कि:–

1. यह कि जमीन गत ख0न0 134 रकबा 11 बीघा 12 बिश्वा से बने गत ख0न0 134/1 रकबा 5 बीघा 5 बिश्वा व गत ख0न0 134/2 रकबा 6 बीघा 7 बिश्वा से दौराने भू–प्रबन्ध बने हाल ख0न0 54 रकबा 0.81 है0, हाल ख0न0 55 रकबा 0.79है0 व हाल ख0न0 58 रकबा 2.93है0 है। उक्त कृषि भूमि वाके ग्राम झाझड़ियों की ढाणी तहसील सूरजगढ़ में स्थित है। उक्त भूमि में हाल ख0न0 54 रकबा 0.81है0 का ही विवाद है बाकि भूमि का कोई विवाद नहीं है। विवाद वाली कृषि भूमि को दावे में आगे जमीन जैर बहस कहा गया है।

2. यह कि श्योनारायण पुत्र बोयतराम निवासी झाझड़ियों की ढाणी तहसील सूरजगढ़ का देहान्त 1984 में हुआ। उक्त श्योनारायण के छः पुत्रों क्रमशः खगाराम, सुरजाराम, देवकरण, सरदाराराम, दोदराम व रामेश्वर है तथा इनकी स्त्रियों का देहान्त हो गया उक्त खगाराम के विधिक प्रतिनिधिगण पुत्र वादीगण नं0 1 व 2 व प्रतिवादिया नं0 26 है। उक्त सुरजाराम के विधिक प्रतिनिधिगण पुत्र विधाधर व पुत्री प्रतिवादीगण नं0 9 व 10 हैं। विधाधर का देहान्त हो गया जिसके विधिक प्रतिवादीगण नं0 4 लगायत 8 पुत्र व पुत्री व बेवा है। उक्त देवकरण के विधिक प्रतिनिधिगण प्रतिवादीगण नं0 11 व 12 पुत्र व प्रतिवादीगण नं0 13 लगायत 15 पुत्री हैं। उक्त सरदाराराम के विधिक प्रतिनिधिगण वादीगण नं0 3 व 4 पुत्र व प्रतिवादिया नं0 27 व 28 पुत्री होने से है। उक्त दोदराम के विधिक प्रतिनिधिगण वादी नं0 5 पुत्र व प्रतिवादिया नं0 29 लगायत 31 पुत्री होने से हैं। उक्त रामेश्वर के विधिक प्रतिनिधिगण पुत्र सुभाष व प्रतिवादी नं0 22 लगायत 25 हैं। उक्त सुभाष का देहान्त होने से इसके विधिक [illegible] प्रति[illegible] 16 लगायत 21 पुत्र व पुत्री व बेवा होने से हैं। इस प्रकार वादीगण व प्रतिव[illegible]ण न[illegible] लगायत 31 उक्त श्योनारायण पुत्र बोयतराम के वारिस हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.06 16:32:47 IST
Reason: SelfAttested

3. यह कि जमीन वर्णित धारा 1 वाद पत्र तत्कालीन ठिकाना महनसर व[illegible]त की कृषि भूमि थी। जमीन गत ख0नं0 134 रकबा 11 बीघा 12 बिश्वा में से तत्कालीन ठिकाना से रकबा

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़

6 बीघा 7 बिश्वा भूमि श्योनारयण पुत्र बोयतराम ने व शेष रकबा 5 बीघा 5 बिश्वा कृषि भूमि मामचन्द पुत्र दुला नामक व्यक्ति ने बतौर लगान की एवज में काश्त हेतु ली थी और अपने काश्त की भूमि के हिसाब से श्योनारायण व मामचन्द ने तत्कालीन ठिकाना को लगान अदा किया और तत्कालीन ठिकाना खालसा होने के बाद व टिनेन्सी एक्ट 1955 प्रभाव में आने के बाद दोनों ने अपनी कृषि भूमि का लगान अलग–अलग राजस्थान सरकार को अदा किया। इस प्रकार जमीन गत ख0नं0 134 रकबा 11 बीघा 12 बिश्वा की भूमि में से रकबा 6 बीघा 7 बिश्वा का खातेदार काश्तकार श्योनारयण पुत्र बोयतराम बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ हुआ। जिसके गत ख0न0 134/2 रकबा 6 बीघा 7 बिश्वा कायम हुये। और रकबा 5 बीघा 5 बिश्वा का खातेदार काश्तकार उक्त मामचन्द पुत्र दुला बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ हुआ। जिसके गत ख0न0 134/1 रकबा 5 बीघा 5 बिश्वा कायम हुये। इस प्रकार उक्त श्योनारायण की खातेदारी की कृषि भूमि गत ख0न0 134/2 रकबा 6 बीघा 7 बिश्वा की खतौनी संख्या 228 अलग खाते में दर्ज हुई और उक्त मामचन्द की खातेदारी की कृतिष भूमि गत ख0न0 134/1 रकबा 5 बीघा 5 बिश्वा की खतौनी संख्या 156 अलग खाते में दर्ज हुई। उक्त श्योनारायण अपनी कृषि भूमि को अपने जीवनकाल तक कब्जा काश्त रहा और राजस्व रिकॉर्ड में भी सम्वत 2035 तक सही दर्ज होती रही। लेकिन दौराने भू–प्रबन्ध राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों ने गत ख0न0 134/2 रकबा 6 बीघा 17 बिश्वा से हाल ख0न0 55 रकबा 0.79 है0 ही उक्त श्योनारायण की खातेदारी में दर्ज किया जबकि गत ख0न0 134/2 का मैट्रिक प्रणाली से रकबा 1.60 है0 बनता है तथा रकबा 0.81 है0 को गलती से राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों ने गत ख0न0 134/1 से बनना मिलान क्षेत्रफल में दर्शित किया जबकि नक्सा सीट व गत ख0न0 134/1 व 134/2 की गणना करने पर खत ख0न0 134/2 से हाल ख0न0 54 रकबा 0.81 है0 बनता है और गत ख0न0 134/1 का मैट्रिक प्रणाली से रकबा 1.33 है0 बनता है जिसमें हाल ख0न0 56 रकबा 0.02 है0, हाल ख0न0 58 में 1.31 है0 जमीन शामिल हुई है। इस प्रकार कूल 1.33 है0 जमीन गत ख0न0 134/1 से हाल ख0न0 56 व 58 में ही पूरी हो जाती है तो गत ख0न0 134/1 से हाल ख0न0 54 बनना संभव ही नहीं है। इस प्रकार राजस्व कर्माचारियों व अधिकारियों ने गलती से गत ख0न0 134/1 से हाल ख0न0 54 बनना गलत दर्ज किया है जबकि गत ख0न0 134/2 से बना है। इस प्रकार उक्त गलत रिकार्ड दर्ज करने पर भू–प्रबन्ध ने गलती से हाल ख0न0 54 रकबा 0.81 है0 उक्त मामचन्द पुत्र दुल्ला की खातेदारी में दर्ज कर दी जबकि श्योनारायण की खातेदारी में दर्ज करनी चाहिए थी। भू–प्रबन्ध विभाग को किसी की खातेदारी खत्म करने व खातेदारी देने का अधिकार नही था। भू–प्रबन्ध को सिर्फ राजस्व रिकार्ड की पुनरावृति करनी थी। इस कारण जमीन जैर बहस में वादीगण 1/2 हक हिस्से का, प्रतिवादीगण नं0 4 लगायत 8 का 1/6 हक हिस्से का, प्रतिवादीगण नं011 व 12 का 1/6 हक हिस्सा का, प्रतिवादीगण नं0 16 लगायत ... का 1/12 हक हिस्से का, प्रतिवादी नं0 22 1/12 हक हिस्सा का कोटिनेन्टस ... है और इसी प्रकार वादीगण घोषणा करवाने के अधिकारी है।

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.06 16:32:47 IST
Reason: SelfAttested

4. यह कि दौराने भू-प्रबनध जमीन जैर बहस को राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों ने गलती से वादीगण व प्रतिवादीगण नं0 4 लगायत 31 के पूर्वज श्योनारायण का नाम दर्ज न करके उक्त मामचन्द पुत्र दुल्ला का दर्ज कर दिया। और उक्त मामचन्द के देहान्त हो जाने के बाद गलती से उसके पुत्रों प्रतिवादीगण नं0 1 लगायत 3 के नाम राजस्व रिकार्ड दर्ज कर दिया। इस प्रकार प्रतिवादीगण नं0 1 लगायत 3 के हक में दर्ज जमीन जैर बहस का राजस्व रिकार्ड शुरू से ही शून्य है और न ही कभी जमीन जैर बहस पर प्रतिवादीगण नं0 1 लगायत 3 के पूर्वज मामचन्द व न प्रतिवादीगण नं0 1 लगायत 3 का कब्जा काश्त रहा है व न है। वादीगण व प्रतिवादीगण नं 4 लगायत 31 के पहले पूर्वज का और वादीगण व प्रतिवादीगण नं 4 लगायत 8,11,12,व 16 लगायत 22 का वर्तमान में कब्जा काश्त है। इस प्रकार उक्त गलत राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करवाने का हक वादीगण को है।

5. यह कि दिनांक 21.07.2017 को किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए वादीगण हल्का पटवारी से राजस्व रिकार्ड की नकल लेने गये तब हल्का पटवारी ने बताया की जमीन हाल ख0न0 54 की खातेदारी उनके नाम नहीं है। इस पर वादीगण ने प्रतिवादीगण नं0 1 लगायत 3 को राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण नं0 1 लगायत 3 ने कहा कि हम आपकी जमीन का राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाकर आपके नाम दर्ज करवा देंगे। इस पर वादीगण ने विश्वास कर लिया फिर दिनांक 24.07.2017 को न्यायालय में चलकर प्रतिवादीगण नं0 1 लगायत 3 को राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने की बात वादीगण ने कही तो प्रतिवादीगण नं0 1 लगायत 3 ने साफ मना कर दिया और कहा कि हमने आपकी जमीन का आपस में विभाजन कर ऋण भी ले लिया है और आपकी भूमि को हम आपके नाम दर्ज नहीं करवायेगे तथा गलत राजस्व रिकार्ड का फायदा भी उठायेंगे और जबरदस्ती कब्जा करेगें। इस प्रकार प्रतिवादीगण नं0 1 लगायत 3 ने वादीगण की भूमि को गलत राजस्व रिकार्ड का फायदा उठाकर रहन कर दी तथा आगे भी खुर्द बुर्द करने पर उतारू हैं। जब तक प्रतिवादीगण नं0 1 लगायत 3 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्ध नहीं किया जाता तब तक जमीन को खुर्द बुर्द करने से नहीं रूकेंगे। इस कारण वादीगण प्रतिवादीगण नं0 1 लगायत 3 के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

6. यह कि प्रतिवादी नं0 9, 10, 13 लगायत 15, 23 लगायत 25, 26 लगायत 31 को परफोरमा पक्षकार बनाया गया है। इन्होने अपना हिस्सा छोड़ दिया है। प्रतिवादी नं0 32 के यहा जमीन रहन होने से व प्रतिवादी नं0 33 सरकार भूमि अधिकारी होने से पक्षकार दावा बनाया गया है।

7. यह कि दावे के लिए बिनायमुखास्मत दिनांक 21.07.2017 को [illegible] पटवारी द्वारा राजस्व रिकार्ड देखकर बताने पर व दिनांक 24.07.2017 को प्रतिवादी[illegible] लगायत 3 द्वारा राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने से मना करने व जमीन जैर बहस [illegible] खुर्द बुर्द करने की धमकी देने के रोज अदालत हाजा के क्षेत्राधिकार में पैदा हुआ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.06 16:32:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ

वादीगण ने वादपत्र पेश कर अनुतोष चाहा कि–

(क) जमीन हाल ख0न0 54 रकबा 0.81 है0 वाके ग्राम झाझडियों की ढाणी तहत तहसील सूरजगढ़ से बने वर्तमान ख0न0 252/54 रकबा 0.27है0, हाल ख0न0 54 रकबा 0.27 है0, हाल ख0न0 253/54 रकबा 0.27 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.81 है0 का वादीगण को 1/2 हक हिस्से का, प्रतिवादी नं0 11 व 12 को 1/6 हिस्से का, प्रतिवादीगण नं0 16 लगायत 21 को 1/12 हक हिस्से का, प्रतिवादी नं0 22 को 1/12 हक हिस्से का कोटिनेन्टस (सह आसामी) हैं और घोषणा के मुताबिक तहरीर प्रतिवादी नं0 33 को जारी कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाया जावे।

(ख) कि जमीन वर्णित धारा 13 क वाद पत्र पर प्रतिवादीगण नं0 1 लगायत 3 ने बैंक प्रतिवादी नं0 32 के रहन कर रखी है जो रहन प्रतिवादीगण नं0 1 लगायत 3 की शेष भूमि पर रखा जावे।

(घ) कि प्रतिवादीगण नं0 1 लगायत 3 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्ध किया जावे कि जमीन वर्णित धारा 13क के भाग को न विक्रय करें, न आगे रहन करें, न वादीगण के उपयोग उपभोग में बाधा कारित करें, न कोई हस्तान्तरण विलेख निष्पादित करावें। मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

(2) दावा दर्ज पंजिका कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण की सम्यक तामिल हुई। प्रतिवादी सं. 4 से 31 की ओर से श्री अजय एडवोकेट ने वकालतनामा मय इकबालिये जवाब पेश किया। प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से श्री रोनक हलवान द्वारा दिनांक 12.10.2018 को अन्डरटंकिग ली गई किन्तु वकालतनामा पेश नही किया गया। न्यायालय द्वारा दिनांक 22.01.2020 को वकालतनामा व जवाब पेश नही करने पर प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का जवाब बन्द कर इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

(3) वादी की ओर से साक्ष्य में दस्तावेज नक्शा शीट हाल प्रदर्श–1, नक्शा सीट गत प्रदर्श –2, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श– 3, नकल जमाबंदी सम्वत् 2020–23 प्रदर्श–4, नकल जमाबंदी सम्वत् 2020–23 प्रदर्श–5, नकल जमाबंदी सम्वत् 2024–27 प्रदर्श प्रदर्श–6, नकल जमाबंदी सम्वत् 2028–31 प्रदर्श– 7, नकल जमाबंदी सम्वत् 2028–31 प्रदर्श– 8, नकल जमाबंदी सम्वत् 2032–35 प्रदर्श– 9, नकल जमाबंदी सम्वत् 2032–35 प्रदर्श– 10, खसरा परिशोधन पत्र प्रदर्श– 11, खसरा परिशोधन पत्र प्रदर्श– 12, भू– प्रबन्ध विभाग की खतौनी प्रदर्श– 13, भू– प्रबन्ध विभाग की खतौनी प्रदर्श– 14, नकल जमाबंदी सम्वत् 2047–50 प्रदर्श– 15, नकल जमाबंदी सम्वत् 2051–54 प्रदर्श– 16, नकल जमाबंदी सम्वत् 2055–58 प्रदर्श– 17, नकल जमाबंदी सम्वत् 2059–62 प्रदर्श– 18, नकल जमाबंदी सम्वत् 2063–66 प्रदर्श– 19, नकल जमाबंदी सम्वत् 2067–70 प्रदर्श– 20, नकल जमाबंदी सम्वत् 2032–35 प्रदर्श– 21, नकल जमाबंदी सम्वत् 2071–74 प्रदर्श– 22, नकल जमाबंदी सम्वत् 2071–74 प्रदर्श– 23, नकल जमाबंदी सम्वत् 2071–74 प्रदर्श– 24, खसरा गिरदावरी प्रदर्श– 25 खसरा गिरदावरी प्रदर्श– 26, खसरा गिरदावरी प्रदर्श– 27 प्रस्तुत की। मौखिक साक्ष्य में शपथ पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.06 16:32:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ

ताराचंद पुत्र खगाराम पी.डब्लु–1, ओमप्रकाश पुत्र सरदाराराम पी.डब्लु–2 प्रस्तुत किया गया।

(4) बहस सुनी गई।

(5) पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। वाके ग्राम झाझड़ियों की ढाणी तहसील सूरजगढ़ में स्थित भूमि गत ख0न0 134 रकबा 11 बीघा 12 बिश्वा से बने गत ख0न0 134 / 1 रकबा 5 बीघा 5 बिश्वा व गत ख0न0 134 / 2 रकबा 6 बीघा 7 बिश्वा से दौराने भू–प्रबन्ध बने हाल ख0न0 54 रकबा 0.81 है0, हाल ख0न0 55 रकबा 0.79है0 व हाल ख0न0 58 रकबा 2.93है0 है। साबिक गत ख0नं0 134 रकबा 11 बीघा 12 बिश्वा में से तत्कालीन ठिकाना से रकबा 6 बीघा 7 बिश्वा भूमि श्योनारयण पुत्र बोयतराम ने व शेष रकबा 5 बीघा 5 बिश्वा कृषि भूमि मामचन्द पुत्र दुला के नाम दर्ज रिकार्ड रही है। इस प्रकार जमीन गत ख0नं0 134 रकबा 11 बीघा 12 बिश्वा की भूमि में से रकबा 6 बीघा 7 बिश्वा का खातेदार काश्तकार श्योनारयण पुत्र बोयतराम बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ हुआ। जिसके गत ख0न0 134 / 2 रकबा 6 बीघा 7 बिश्वा कायम हुये। और रकबा 5 बीघा 5 बिश्वा का खातेदार काश्तकार उक्त मामचन्द पुत्र दुला बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ हुआ। जिसके गत ख0न0 134 / 1 रकबा 5 बीघा 5 बिश्वा कायम हुये। इस प्रकार उक्त श्योनारायण की खातेदारी की कृषि भूमि गत ख0न0 134 / 2 रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा दर्ज हुई। मामचन्द की खातेदारी की कृषि भूमि गत ख0न0 134 / 1 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा दर्ज हुई। उक्त श्योनारायण अपनी कृषि भूमि को अपने जीवनकाल तक कब्जा काश्त रहा और राजस्व रिकॉर्ड में भी सम्वत 2035 तक सही दर्ज होती रही। दौराने भू–प्रबन्ध राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों ने गत ख0न0 134 / 2 रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा से हाल ख0न0 55 रकबा 0.79 है0 ही उक्त श्योनारायण की खातेदारी में दर्ज किया जबकि गत ख0न0 134 / 2 का मैट्रिक प्रणाली से रकबा 1.60 है0 बनता है तथा रकबा 0.81 है0 को गलती से राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों ने गत ख0न0 134 / 1 से बनना मिलान क्षेत्रफल में दर्शित किया। नक्सा सीट व गत ख0न0 134 / 1 व 134 / 2 की गणना करने पर गत ख0न0 134 / 2 से हाल ख0न0 54 रकबा 0.81 है0 बनता है और गत ख0न0 134 / 1 का मैट्रिक प्रणाली से रकबा 1.33 है0 बनता है जिसमें हाल ख0न0 56 रकबा 0.02 है0, हाल ख0न0 58 में 1.31 है0 जमीन शामिल हुई है। इस प्रकार रकबा 1.33 है0 जमीन गत ख0न0 134 / 1 से हाल ख0न0 56 व 58 में ही पूरी हो जाती है । गत ख0न0 134 / 1 से हाल ख0न0 54 बनना संभव ही नही है। इस प्रकार गत ख0न0 134 / 1 से हाल ख0न0 54 बनना गलत दर्ज किया है । गत ख0न0 134 / 2 से बना है। इस प्रकार उक्त गलत रिकार्ड दर्ज करने पर भू–प्रबन्ध ने गलती से हाल ख0न0 54 रकबा 0.81 है0 उक्त मामचन्द पुत्र दुल्ला की खातेदारी में दर्ज कर दी। श्योनारायण की खातेदारी में दर्ज करनी चाहिए थी। भू–प्रबन्ध विभाग को किसी की खातेदारी खत्म करने व खातेदारी देने का अधिकार नही था। भू–प्रबन्ध को सिर्फ राजस्व रिकार्ड की पुनरावृत्ति करनी थी। निश्चित रूप से हाल खसरा नम्बर 54 का रकबा 0.81 है. बिना किसी आधार के अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.06 16:32:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ

कर दी गई। जबकि वादीगण की खातेदारी में रकबा कम दर्ज किया गया है। साबिक व हाल नक्शे को सुपर इम्पॉज करके देखने पर भी साबिक खसरा नम्बर 134/2 का रकबा हाल खसरा नम्बर 55 में मिलाया गया है। 55 का रकबा व नक्शा छोटा बनाया गया है। जबकि खसरा नम्बर 54 को मिलने पर खसरा नम्बर 55 रकबा सही बनता है। वादीगण ने अपने वाद को महत्वपुर्ण व सुसंगत प्रमाणित दस्तावेजो से साबित किया है। अतः न्यायालय वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है।

—:: आदेश ::—

न्यायालय वाद वादी डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः (1). वाके ग्राम झाझडियों की ढाणी तहत तहसील सूरजगढ़ स्थित भूमि हाल ख0न0 54 रकबा 0.81 है0 से बने वर्तमान ख0न0 252/54 रकबा 0.27है0, हाल ख0न0 54 रकबा 0.27 है0, हाल ख0न0 253/54 रकबा 0.27 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.81 है0 का वादीगण को 1/2 हिस्से, प्रतिवादी संख्या 11 व 12 को 1/6 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 16 लगायत 21 को 1/12 हिस्से तथा प्रतिवादी संख्या 22 को 1/12 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। (2). प्रतिवादीगण को सदैव के लिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंध किया जाता है कि वादीगण के हक अधिकार में, किसी तरह की दखल मजाहमत, किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार से, किसी भी माध्यम से, न करे, न करावे। (3). रहन यदि कोई हो तो संबन्धित खातेदार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के विरूद्ध दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

(अभिलाषा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, सूरजगढ

उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ

निर्णय आज दिनांक 22/6/21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(अभिलाषा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, सूरजगढ

उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.06 16:32:47 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 5/7/21

नोट - निर्णय व डिक्री दिनांक [illegible] प्र. 4 से 8 का हिस्सा 1/6 भी घोषित किया गया [illegible]। सहवन से छूट गया। उक्त भी निर्णय व डिक्री में पढा जावे तथा वादी सं. 1 से 4 का 1/3 व वादी सं. 5 का 1/6 हिस्सा दरहिस्सा 1/2 पढा जावे

उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सूरजगढ जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी – [illegible] अभिलाषा

[illegible] वाद सं – 150/2017
[illegible] नम्बर– 2017/00297

ताराचंद बनाम रामस्वरूप आदि

दावा–घोषणा, रिकार्ड दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा।

वादी की ओर से **श्री संदीप मान एडवोकेट** की व प्रतिवादी स 4 से 31 की ओर से **श्री [illegible] कुमार** एडवोकेट की उपस्थिति में व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 की अनुपस्थिति में इस वाद के आज तारीख 24/6/21 को **अभिलाषा उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ** के समक्ष अन्तिम निस्तारण के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

"न्यायालय वाद वादी डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः (1). वाके ग्राम झाझडियों की ढाणी तहत तहसील सूरजगढ स्थित भूमि हाल ख0न0 54 रकबा 0.81 है0 से बने वर्तमान ख0न0 252/54 रकबा 0.27है0, हाल ख0न0 54 रकबा 0.27 है0, हाल ख0न0 253/54 रकबा 0.27 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.81 है0 का वादीगण को 1/2 हिस्से, प्रतिवादी संख्या 11 व 12 को 1/6 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 16 लगायत 21 को 1/12 हिस्से तथा प्रतिवादी संख्या 22 को 1/12 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। (2). प्रतिवादीगण को सदैव के लिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंध किया जाता है कि वादीगण के हक अधिकार में, किसी तरह की दखल मजाहमत, किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार से, किसी भी माध्यम से, न करे न करावे। (3). रहन यदि कोई हो तो संबन्धित खातेदार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के विरूद्ध दर्ज किया जावे।"

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 24/6/21 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(अभिलाषा)
उपखण्ड अधिकारी
पदेन सहायक [illegible] सूरजगढ

दिनांक 5/7/21

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.06 16:32:47 IST
Reason: SelfAttested

नोट – निर्णय व डिक्री दिनांक 2[illegible] में [illegible] ख. 54 का हिस्सा 1/6 भी घोषित किया जाता। [illegible] हुए गया। निर्णय व डिक्री में दर्ज भी पढ़ा जावे/तथा वादी [illegible] 1/3 [illegible] 1/6 [illegible] 1/2 [illegible]

उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ